

प्रेस नोट 21.05.19

- 1.दिनांक 20.05.19 को वादी श्री पवन कुमार गुप्ता पुत्र बदलू राम नि0 स्वर्ग द्वार थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 संख्या यूपी 42 वी 3950 हीरो स्पेलेण्डर चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 294 / 19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया
- 2.दिनांक 20.05.19 को वादी श्री संदीप शर्मा पुत्र रामजतन शर्मा नि0 कोरखाना देवकाली थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 संख्या यूपी 42 पी 8591 पैशन प्लस को चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 54 / 19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 3.दिनांक 20.05.19 को वादी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र शशि प्रसाद नि0 बारून बाजार थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनीराम पुत्र रामलाल नि0 अज्ञात थाना पूराकलन्दर, अयोध्या, आदि 02 नफर अभि0 द्वारा सरकारी जमीन पर मिट्टी खोद कर सेफ्टी टैंक बनवाना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 223 / 19 धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 4.दिनांक 20.05.19 को वादी श्री रामसंजीवन यादव पुत्र राम कृपाल यादव नि0 मामपुर थाना लम्भुआ सुलतानपुर द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन संख्या यूपी 44 जी 0218 में टक्कर मार देना जिससे वादी को चोटे आना व वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर मु0अ0सं0 224 / 19 धारा 297, 337, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 5.दिनांक 20.05.19 को वादी उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार पासवान थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष कौशल पुत्र मोती लाल नि0 वजीरगंज थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा अभि0 द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 180 / 19 धारा 7 / 8 ध्वनि प्रदूषण अधि0 व 15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 6.दिनांक 20.05.19 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र लल्लन नि0 दफियापुर थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि परशुराम पुत्र अलगू नि0 दफियापुर थाना पटरंगा, अयोध्या आदि 04 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण द्वारा गाली देते हुए वादी व परिजन को मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 100 / 19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।